राजस्थान सरकार
आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग

पत्रांक एफ ( )आप्र एवं सआ/अग्नि/09/ [illegible] जयपुर,दिनांक– [illegible]

समस्त जिला कलक्टर,राजस्थान।
समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान

विषयः– गर्मी के मौसम के दौरान आकस्मिक अग्नि जनित दुर्घटनाओं के बचाव के संबध में दिशा निर्देश

महोदय,

राजस्थान एक मरूस्थलीय प्रदेश होने के कारण विगत कुछ समय से प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर आकस्मिक अग्नि काण्ड से प्रभावित वन सम्पदा,निजी दुकानें,निजी सम्पतियों ,सरकारी सम्पतियों को भारी क्षति हुई है। अत्यधिक पड़ रही गर्मी को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि जिला प्रशासन जिला कलक्टर अपने स्तर पर किसी भी सम्भावित अग्नि काण्ड के सम्बन्ध में गहन समीक्षा कर आवश्यक सुरक्षात्मक कदम उठायें, जिससे कि इन घटनाओं की रोकथाम के साथ–साथ इन पर प्रभावी नियंत्रण भी रखा जा सके।

अग्निकाण्ड विभिन्न प्रकार के होते हैं तथा उनके कारण, उनसे बचाव के उपाय तथा उनसे सम्बन्धित उठाए जाने वाले सुरक्षात्मक कदम भी तदनानुसार निर्धारित होते हैं। प्रमुखतः अग्निकाण्ड का निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है:

(क) प्राकृतिक अग्निकाण्ड (Natural Fire)
(ख) मानव जनित अग्निकाण्ड (Man made Fire)

वन अग्निकाण्ड प्राकृतिक आपदा व मानव जनित दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। आवासीय तथा गैर आवासीय क्षेत्रों से सम्बन्धित अग्निकाण्ड बहुधा मानव जनित ही होते हैं। इसी प्रकार से औद्योगिक अथवा रासायनिक पदार्थ से सम्बन्धित अग्निकाण्ड मानव जनित अथवा औद्योगिक मशीनों की खराबी इत्यादि से उत्पन्न होते हैं।

अग्निकाण्ड के विभिन्न कारण हो सकते हैं। जैसे कि शॉर्ट सर्किट, रसोई बनाते समय लापरवाही, जलते हुए सामान/कूड़े को पूरी तरह से नहीं बुझाने के कारण, जलते हुए बीड़ी, सिगरेट को ज्वलनशील पदार्थ/सामग्री में लापरवाही से फेंक देना, बिजली के ढ़ीले तार से

फसल/चारा से भरे ट्रेक्टर/ट्रक का सम्पर्क में आना, कटी हुई फसल का ट्रान्समिशन लाईन के समीप अस्थाई भण्डारण करना इत्यादि।

गर्मी के मौसम में इस प्रकार की घटना शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बढ जाती हैं। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि जिला कलक्टर के स्तर पर इस प्रकार के अग्नि काण्ड की बढतीं हुई घटनाओं की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाये जावें। जिला कलक्टर द्वारा की जाने वाली समीक्षा में निम्न बिन्दुओं को विशेष रूप से ध्यान में रखा जावे:

1. जिले में उपलब्ध अग्नि शमन वाहनों को 24X 7 दुरस्त रखना जिससे कि उनका अग्नि काण्ड के समय सही उपयोग किया जा सके तथा साथ ही इसके साथ प्रशिक्षित कर्मचारी/अधिकारी तैनात रखे जायें।

2. अग्नि शमन वाहनों के लिए विभिन्न प्रमुख स्थानों पर पानी की माकूल व्यवस्था के साथ साथ उनका सही समय पर उपलब्ध होना। इन वाटर हाइड्रेट पोईन्ट की आकस्मिक जांच भी करायी जाये जिससे कि समय पर इनका उपयोग हो सके।

3. शहर एवं कस्बों/गांवों के विभिन्न स्थानों पर एवं घनी आबादी वाले क्षेत्रों को भी चिन्हित किया जावे। जिले के विभिन्न स्टोर जहॉ ज्वलनशील पदार्थो का भण्डारण हो वहॉ पर अग्नि शमन उपकरण लगाया जाना सुनिश्चित करें तथा ऐसे अग्नि शमन उपकरण का नियमानुसार पूर्ण परीक्षण भी कराया जाना सुनिश्चित करें ताकि इनका दुर्घटना के समय तत्काल उपयोग किया जा सके।

4. रासायनिक पदार्थों के भण्डारण के लिए निर्धारित मापदण्डों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जाए तथा ऐसी औद्योगिक इकाईयां के आपदा प्रबन्धन योजना का सम्भावित अग्निकाण्ड के दृष्टिकोण से समीक्षा कर उसे आदिनांक किया जाए व आवश्यकतानुसार इससे सम्बन्धित ड्रील भी आयोजित किये जाऐं।

5. कई बार देखने में आया है कि अग्नि शमन उपकरण भण्डारण स्थल के अन्दर तो रख दिये जाते हैं परन्तु भण्डारण स्थल के बाहर सुलभ स्थान पर उपलब्ध नहीं होने से इनका सही ढंग से उपयोग नहीं होता है। अतः ऐसे उपकरण जिले

में उपलब्ध ज्वलनशील भण्डारण स्थल यथा पेट्रोल पम्प, डीजल पम्प, चारा डिपो, आयुध डिपो फैक्ट्री एवं विभिन्न प्रकार के गोदाम , कोल्ड स्टोरेज के लिए सम्भावित अग्नि काण्ड के संबंध में पृथक से समीक्षा किया जाना सुनिश्चित करें। ऐसे स्थलों के लिए किसी भी सम्भावित अग्नि काण्ड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पृथक से आपदा प्रबंधन योजना बनाई जाय जिसमें संबंधित एजन्सी, जिला प्रशासन, स्थानीय पुलिस तथा स्वयं सेवी संस्थाओं अथवा स्थानीय जन समुदाय की भूमिका स्पष्ट रूप से निर्धारित की जाये तथा साथ में ऐसी किसी स्थिति में सूचना के आदान प्रदान एवं उपरोक्तानुसार आपदा प्रबंधन योजनाओं का विभिन्न स्तर पर कियान्वयन के दिशा निर्देश भी तैयार किये जाऐं, अगर अभी तक नहीं किया गया हो। ग्राम/कस्बों में अग्निकाण्ड से बचने के लिए स्थानीय स्तर भी उपाय किए जा सकते हैं जैसा कि चारा डिपो के पास पानी का भण्डारण एवं बालू के कटटों का रखा जाना एवं ढीले बिजली के तारों की मरम्मत करना, घनी आबादी वाले क्षेत्रों में प्रमुख स्थान पर सम्भावित अग्नि काण्ड के प्रयोजनार्थ जल भण्डारण, बालू (रेत) के कटटों का रखवाया जाना आदि। अग्नि से संबंधित दुर्घटनाओं से बचने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाऐ।

6. प्रदेश के विभिन्न शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने बसे क्षेत्रों में जहाँ पर रास्ते संकड़े हैं तथा अग्नि शमन उपकरण /वाहनों का पहुँचना कठिन हो, उस स्थिति में उचित होगा कि जिला कलक्टर के स्तर पर ऐसे स्थानों में होने वाले सम्भावित अग्नि काण्ड पर नियंत्रण के लिए पृथक से प्रभावी कार्य योजना तैयार की जाऐ।

7. प्रायः यह देखने में आया है कि छोटी–छोटी सावधानियॉं नहीं बरतने के कारण बड़ी दुर्घटनाऐं घटित हो जाती हैं, इनमें धन हानि के साथ–साथ जन हानि भी हो जाती है। अग्नि बचाव एवं अग्नि लगने के कारणो की प्रकाशित बुकलेट पूर्व में जिलों को भेजी हुई हैं,जिसे ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। जिले में सिनेमा हाल, टाउनहाल, अस्पताल, आडिटोरियम, कॉलेज, स्कूल, सार्वजनिक कार्यालय के भवनों की स्थिति एवं इनमें हो रही बिजली फिटिंग का निरीक्षण समय समय पर किया जाकर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इनमें बिजली फिटिंग सही रूप से कार्यरत है। यदि सिनेमा

घर, मॉल, आडिटोरियम तथा इस प्रकार के अन्य सार्वजनिक स्थलों के फायर अलारम के निरीक्षण के साथ साथ फायर एग्जिट (Fire Exit) की उपलब्धता, ऐसे निकास द्वार के लिए पर्याप्त दिशा सूचक चिन्ह का लगाया जाना भी सुनिश्चित करें। अग्नि शमन उपकरण का समयबद्ध तरीके से परीक्षण कर उन्हें चालू हालत में रखे जावें।

8. यह देखने में आया है कि शहरों में प्रमुख स्थानों पर मेला सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी के साथ साथ शादी के समारोह का आयोजन बड़े बड़े पाण्डाल में किया जाता है। पूर्व में इस प्रकार के पाण्डालों में हुई अग्निकाण्ड से अत्यधिक जनहानि हुई है। जिला कलक्टर इस प्रकार के आयोजन के लिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से की जाने वाली व्यवस्था के साथ साथ सम्भावित अग्निकाण्ड के दृष्टिकोण से आयोजन स्थल पर पूर्ण व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करें तथा स्थानीय निकाय के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा कर आयोजकों के स्तर पर सम्भावित अग्निकाण्ड के बचाव के समस्त आवश्यक सुरक्षात्मक कदम क्रियान्वित कराया जाना सुनिश्चि करें।

9. जिले के वन क्षेत्र के सम्बन्ध में पृथक से बैठक आयोजित कर ऐसे क्षेत्र को किसी भी सम्भावित अग्निकाण्ड से बचाने के लिए कार्य योजना तैयार की जाऐ। वन विभाग द्वारा राष्ट्रीय वन अग्नि प्रबन्धन योजना के तहत आपके जिले के लिए तैयार योजना का अध्ययन कर तदनानुसार आवश्यक प्रारम्भिक सुरक्षात्मक कदम उठाया जाना भी उचित होगा।

10. विभागीय आदेश कमांक 5470–5502 दिनांक 28.04.209 द्वारा समस्त जिला कलक्टर्स को निर्देशित किया गया है कि वे अपने जिला मुख्यालय पर जिला आपदा प्रबंधन केन्द्र स्थापित कर नियंत्रण कक्ष के नम्बर एवं जिला प्रबंधन प्रभारी का नाम एवं उनके कार्यालय एवं निवास के दूरभाष नम्बर /फैक्स नम्बर से आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग को अविलम्ब सूचित करावें। जिला कलक्टर इसी प्रकार तहसील स्तर पर व नगर पालिका/नगर परिषद स्तर पर आपदा नियंत्रण केन्द्र स्थापित कर जिला कार्यालय एवं आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग को उनके नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बरों से अवगत करावें। ताकि आपात कालीन आपदाओं के सम्बन्ध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

11. भारत सरकार द्वारा निर्देशित सी.आर.एफ.नार्मस अनुसार राहत व्यवस्थाएँ करने के अनुदेशों के क्रम में अग्नि दुर्घटना से क्षति होने पर राहत व्यवस्था हेतु अग्नि प्रभावितों को सहायता देने के मापदण्ड के प्रावधानों के अनुसार सहायता उपलब्ध करायी जा सकती है।

आज्ञा करता हूँ कि इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित रूप से सुनिश्चित की जावे।

भवदीय,

(तन्मय कुमार)
शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. समस्त सम्भागीय आयुक्त/ रेंज पुलिस महानिरीक्षक, राजस्थान।
2. निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव,नगरीय विकास विभाग राज0,जयपुर।
3. निजी सचिव,प्रकुख शासन सचिव,राजस्व विभाग,राज0,जयपुर।
4. निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव, जन स्वा0 अभि0 विभाग,राजस्थान,जयपुर।
5. निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव,सा0नि0विभाग,राज0,जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राज0 विद्युत निगम, राज0, जयपुर।
7. समस्त डिविजन कमाण्डर,नागरिक सुरक्षा विभाग,राज0,जयपुर।
8. समस्त उपखण्ड अधिकारी व उप अधीक्षक, राजस्थान।

शासन उप सचिव